रजिस्ट्री सं० डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 1

PART III—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 7, 1984/श्रावण 16, 1906

No. 21] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 7, 1984/SRAVANA 16, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, रोहतक

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 की धारा 43) की धारा 269 (घ) (1) के अधीन सूचना

रोहतक, 27 जुलाई, 1984

निदेश सं० नरवाना/15/83-84 --अत. मुझे आर. के. भयाना आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट सं० 500 व० ग० है तथा जो जीन्द रोड अर्थात शमशान रोड, नरवाना मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नरवाना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, (1908 का 18) के अधीन तारीख नवम्बर, 1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित मूल्य से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल मे ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय अधिनियम 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) या धनकर अधिनियम (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए :

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

श्री मेवा सिंह पुत्र शादी राम, गांव उझलेन त. नरवाना, जि. जीन्द

श्री इन्द्र सिंह पुत्र धर्म सिंह पुत्र भगता सिम.र नि० मॉडल टाउन, नरवाना

श्रीमती सत्या देवी पत्नी श्री नौहर चन्द पुत्र चिरंजी लाल मार्फत मै. चिरंजी लाल भारदा राम, (अन्तरिती) नरवाना जिला जीन्द

3. (वह व्यक्ति जिसके अधिभाग में सम्पत्ति है)

(वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति के हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों को जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20क में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति प्लाट क्षेत्र 500 व. ग. झील रोड अर्थात शमशान रोड, नरवाना में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय, नरवाना में, रजिस्ट्री संख्या 1162 दिनांक 14-11-83 पर दिया है।

तारीख 27-7-84

मोहर

आर. के. भयाना, सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक।

*[जो लागू न हो उसे काट दें]

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, ROHTAK

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

Rohtak, the 27th July, 1984

Ref. No. NWN|15|83-84.—Whereas I, R. K. Bhayana, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. Plot measuring 500 Sq. Yds., situated at Jheel Road i.e., Shamshan Road, Narwana (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Narwana in November, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and|or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (i) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Mewa Singh s|o Shadi Ram, Village Dablen, Teh. Narwana, Distt. Jind and Sh. Inder Singh s|o Dharam Singh s|o Shri Bhagta Shimar, Model Town, Narwana, D|Jind. (Transferor).

(2) Smt. Satya Devi w|o Shri Nohar Chand s|o Chiranji Lal c|o M|s. Chiranji Lal Sharda Ram, Narwana, D|Jind. (Transferor).

(3) (Person in occupation of the property

*(4) (Person whom the undersigned knows to be interested in the Property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein are as defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

SCHEDULE

Property being Plot measuring 500 Sq. Yds., situated at Jheel Road i.e., Shamshan Road, Narwana and more fully described in the sale deed registered at No. 1162 dated 14-11-83 with Sub Registrar, Narwana.

Date 27-7-1984.
Seal

R. K. BHAYANA, Competent Authority,
(Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax Acquisition Range, Rohtak).

*(Strike off where not applicable).

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984